राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक 162/भू0अ0/ज0स0/2015/

दिनांक

विज्ञप्ति

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बीसलपुर परियोजना के डूब में आये **ग्राम बनेड़िया खुर्द (बासधाकड़ान) के मकान न0 22** को अवाप्ति किया जाना आवश्यक है। यह विज्ञप्ति किया जाता है कि नीचे वर्णित इलाकों की भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। अतः यह विज्ञप्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11–12 के अनुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जारी की जाती है जिनका इससे संबध है।

उक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को, जिनका इससे संबध है, को कुछ समय के लिए अपने सेवकों एवं श्रमिकों सहित उस क्षेत्र में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने तथा वे सब कार्य करने हेतु अधिकृत करती है, जो उक्त धारा में दर्शाये गये है।

कोई हितकारी व्यक्ति जिसे निम्नाकिंत क्षेत्र की किसी भूमि के अवाप्त करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह उक्त विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन होने के 60 दिन के अन्दर आपत्ति लिखित में **भूमि अवाप्ति अधिकारी (अतिरिक्त कलेक्टर) पुनर्वास, बीसलपुर परियोजना देवली** को प्रस्तुत कर सकता है। विवरण सलग्न सूची के अनुसार।

सलग्नः—सूची।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

जितेन्द्र दीक्षित
उप सचिव एवं प्रावै. सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक 162/भू0अ0/ज0स0/2015/ 1438 – 1441

दिनांक : 28-05-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1—अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग, जयपुर।

2—निर्देशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है। कृप्या प्रकाशन की सूचना इस कार्यालय को यथा शीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करावे।

3—अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, तृतीय बीसलपुर परियोजना देवली को निम्नलिखित कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

(क) इस विज्ञप्ति को जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से कम से कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करे।

(ख) इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।

4—भूमि अवाप्ति अधिकारी (अतिरिक्त कलेक्टर) पुनर्वास, बीसलपुर परियोजना देवली को प्रेषित कर लेख है कि घोषणा का सारांश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर)

जितेन्द्र दीक्षित
उप सचिव एवं प्रावै. सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (जल संसाधन)
निर्माण खण्ड III बीसलपुर परियोजना, देवली
प्राप्ति
क्रमांक 295 दिनांक 30.5.19
शाखा का नाम मुआवजा शाखा
O.A. T.A. E.E.

मुआवजा शाखा

S.K.